न्यायालय संख्या–3

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह सदस्य (न्यायिक)

पुनर्विचार याचिका सं0–41/2022

संदर्भित निर्देश याचिका सं0–35/2019

विपिन कुमार यादव, आयु लगभग 36 वर्ष, पुत्र श्री बालकृष्ण यादव, निवासी आर0जी0नं0–174, पुराना शिवली रोड, पाल मार्केट के पास कल्याणपुर, थाना कल्यानपुर व जनपद कानपुर नगर। वर्तमान नियुक्ति आरक्षी ना0पु0, आयोग सेल, जनपद फतेहगढ़।

याची।

बनाम्

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), उ0प्र0 शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), कानपुर जोन, कानपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद औरैया।

विपक्षीगण।

उपस्थित अधिवक्तागणः–

मो0 नासिर, अधिवक्ता वास्ते (याची)
श्री पारिजात मिश्रा, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, वास्ते (विपक्षीगण)

निर्णय

(द्वारा माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्यायिक)

याची द्वारा यह पुनर्विचार याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1992 के नियम–17 के अन्तर्गत निर्देश याचिका सं0– 35/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 20.01.2021 पर पुनर्विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से याची की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि उसके द्वारा आदेशों को अमुखरित व कारणविहीन बताया गया था, इस संदर्भ में निर्णय में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है, किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया है।

उक्त निर्णय दिनांकित 20.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय पारित करने में समुचित कारणों का उल्लेख किया गया है, जो निर्णय के प्रस्तर–7 से स्वतः स्पष्ट है।

3. विपक्षीगण की ओर से पुनर्विचार याचिका के विरूद्ध आपत्ति दिनांक 19.07.2022 प्रस्तुत की गयी और तद्नुसार इस आशय का अभिकथन किया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा संदर्भित प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने व अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत याचिका को निर्णय दिनांक 20.01.2021 द्वारा निर्णीत किया गया। मा0 अधिकरण द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचारोपरांत निराकरण किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का (एरर अपरेन्ट ऑन दि फेस ऑफ रिकार्ड (Error apparent on the face of record) नहीं है, मा0 अधिकरण द्वारा जो भी अभिमत दिये गये हैं, वह कथनों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि निर्णय दिनांक 20.01.2021 के प्रस्तर–7 से होती है। उपरोक्त आधारों पर पुनर्विचार याचिका को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. निस्तारण के निमित्त मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता मो0 नासिर एवं विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री पारिजात मिश्रा के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. याची की ओर से निर्देश याचिका सं0–35/2019 संस्थित की गयी थी, जो निर्णय दिनांक 20.01.2021 द्वारा निम्न आदेशानुसार निस्तारित की गयीः–

> 7– "दोनों पक्षों को सुनने व आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में की गयी जांच में समस्त प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। याची को प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी/निर्गत किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णित था कि यदि वह संबंधित पत्रावली का अवलोकन करना चाहता है, तो किसी भी कार्यदिवस में पत्रावली का अवलोकन कर सकता है। याची द्वारा स्वयं दिनांक 18.04.2017 को प्रार्थनापत्र देकर प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति मांगी गयी थी, जोकि उसे उपलब्ध भी करा दी गयी थी व तदोपरात ही आलोच्य दण्डादेश दिनांक 03.05.2017 पारित किया गया है। इसके विरूद्ध याची द्वारा प्रस्तुत अपील व तत्क्रम में प्रस्तुत पुनरीक्षण भी सकारण आदेशों के माध्यम से निस्तारित किये गये हैं, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।
>
> <u>आदेश</u>
>
> तद्नुसार निर्देश याचिका निरस्त की जाती है। उभयपक्ष वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।"

6. याची द्वारा पुनर्विचार याचिका में पूर्व पारित निर्णय दिनांक 20.01.2021 पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। याची के द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन के निमित्त तथ्यों/बिन्दुओं का उल्लेख किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि वह किसी प्रकार से पुनरावलोकन के आधार नहीं हो सकते, अपितु अपील के आधार हो सकते हैं।

7. पुनर्विचार याचिका के निस्तारण के निमित्त **धारा–114 सीपीसी** व **आदेश–47** व्दारा पुनर्विचार के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:–

"Review--Subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved:-

(a) by a decree or order from which an appeal is allowed by this Code, but from which no appeal has been preferred,

(b) by a decree or order from which no appeal is allowed by this Code: or

(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order, and the court may make such order thereon as it thinks fit.

8. इसी क्रम में दीवानी प्रक्रिया संहिता के **आदेश–47 नियम–1** का उल्लेख आवश्यक है जो पुनर्विचार याचिका के आधारों के संबंध में है कि किन आधारों और परिस्थितियों में पुनर्विचार याचिका स्वीकार की जा सकती है।

1. Application for review of judgment--(1) Any person considering himself aggrieved-

(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,

(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or

(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, an who, frodm the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

(2) A party who is not appealing from a decree or Order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review.

1. (Explanation- The fact that the decision on a question of law on which judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be ground for the review of such judgment).

9. यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय में पुनर्विचार किये जाने के बिन्दु पर **Meera Bhanja (Smt.) Vs. Nirmala Kumari Choudhury (Smt.)- (1995)1 Supreme Court Cases 1790** के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" Review must be confined to error apparent on the face of record. Error must be such as would be apparent on mere looing at the record without requiring any long drawn process of reasoning. Reappraisal of entire evidence on record for finding the error would not amount to exercise of appellate jurisdiction, which I not permissible."

10. **एस0 मधुसूधन रेड्डी बनाम वी0नारायण रेड्डी व अन्य सिविल अपील संख्या–5505/2022 निर्णीत दिनाँक 18–08–2022** में मा0 उच्चतम न्यायालय व्दारा आदेश 47 नियम–1 दीवानी संहिता के प्रावधानों को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया गया हैः–

'A glance at the aforesaid provisions makes it clear that a review application would be maintainable on

(1) discovery of new and important matters or evidence which, after exercise of due diligence, where not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him when the decree was passed or the order make: (ii) on account of some mistake or error apparent on the face of the record: or (iii) for any other sufficient reason.'

11. **Col. Avatar Singh Sekhon Vs. Union of India and others 1980 Supp SCC 562**, में मा0 उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका के संदर्भ में निम्नांकित अभिमत दिया गया हैः–

12. A review is not a routine procedure. There we resolved to here Shri Kapil at length to remove any feeling that the party has been hurt without being heard. But we cannot review our earlier order unless satisfied that material error, manifest on the face of the order, undermines its soundness of results in miscarriage of justice, in Sow Chandra Kante and Another Vs. Sheikh Habib this Court observed:

A review of a judgment is a serious step and reluctant resort to it is proper only where a glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility,-- The present stage is not a virgin ground but review of an earlier order which has the normal feature of finality."

12- **Parsion Devi and Others Vs. Sumtri Devi and Others (1997) 8 SCC 715** में मा0 उच्चतम न्यायालय व्दारा इस आशय का अभिमत व्यक्त किया गया हैः–

"It is well settled that review proceedings have to be strictly confined to the ambit and scope of Order 47 Rule 1 CPC---

9.Under order 47 Rule 1 CPC a judgment may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be defected by a process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the court to exercise its power of review- Under order 47 Rule 1 CPC. In exercise of this jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC it is not permissible for an erroneous decision to be 'reheard and corrected.' A review petition, it must

be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be 'appeal in disguise"

13. **कमलेश वर्मा बनाम मायावती व अन्य (2013) 8 एससीसी 320** में मा0 उच्चतम न्यायालय व्दारा निम्नांकित अभिमत दिया गया हैः–

"this Court observed that review proceedings have to be strictly confined to the scope and ambit of Order XLVII Rule 1 CPC. As long as the point sought to be raised in the review application has already been dealt with and answered, parties are not entitled to challenge the impugned judgment only because an alternative view is possible. The principles for exercising review jurisdiction were succinctly summarized in the captioned cased as below:

(i) Discovery of new an important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within knowledge of the petitioner or could not be produced by him.

(ii) Mistake or error apparent on the face of the record:

(iii) Any other sufficient reason.

The words "any other sufficient reason" has been interpreted in Chajju Ram Vs. Neki and approved by this Court in Moran Mar Basselios Catholicos Vs. Most Rev Mar Poulose Athanasius & ors to mean 'a reason sufficient on grounds at least analogous to those specified in the rule". The same principles have been reiterated in Union of India Vs. Sandur Manganese & Ores Ltd. & Ors.

20.2 When the review will not be maintainable

(i) A repetition of old and overruled argument is not enough to reopen concluded adjudications.

(ii) Minor mistakes of inconsequential import.

(iii) Review proceedings cannot be equated with the original hearing of the case.

(iv) Review is not maintainable unless the material error, manifest on the face of the order, undermines its soundness or results in miscarriage of justice.

(v) A review is by no means an appeal in disguise whereby an erroneous decision is re-heard and corrected but lies only for patent error.

(vi) The mere possibility of two views on the subject cannot be a ground for review.

(vii) The error apparent on the face of the record should not be an error which has to be fished out and searched.

(viii) The appreciation of evidence on record is fully within the domain of the appellate Court, it cannot be permitted to be advanced in the review petition.

14. उपर्युक्त के दृष्टिगत मेरे द्वारा निर्देश याचिका सं0–35/2019 में अधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 20.01.2021 का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित उपर्युक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अधिकरण को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि पुनः याचिका के तथ्यों पर विचार करते हुए अपना निष्कर्ष दे, क्योंकि माननीय न्यायालयों द्वारा दी गयी उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में केवल निर्णय में की गयी ऐसी त्रुटि को ठीक किया जा सकता है जो Error apparent on the face

of record हो और जिसके लिये पुनः साक्ष्य की समीक्षा न करनी हो। उपर्युक्त के दृष्टिगत पुनर्विचार याचिका में कोई बल प्रतीत नहीं होती है। अतः पुनर्विचार याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की पुनर्विचार याचिका संख्या–35/2019 निरस्त की जाती है। उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य (न्यायिक)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः–नवम्बर 05, 2024
अर्चना पाल, निजी सचिव।